

रीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/11/22

अधिवक्तागण उपस्थित न होने की अवधि-
निक बढाई जाती है। अगामी पेशी
इन्तजार आदेश दिनांक 28/12/22 को
पेश हो।

28/12/22

प्राची व प्राची अधिवक्ता उपस्थित
नहीं। प्राची व प्राची अधिवक्ता
को एक-एक कर 3 बार आवाज
लगावाई गई। कोई उपस्थित नहीं
आया। प्राची का प्राथमिक पत्र
अन्तर्गत द्वारा 212 RTA इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। पुत्रावली
निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।



नमस्ते अधिवक्ता (राजस्व)
श्री करणपुर